

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ, मीरजापुर,  
सन्त कबीर नगर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2016

विषय: वर्ष-2015 में सूखे के कारण कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष-2015 में सूखे के कारण कृषि फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष 02 हे० तक के किसानों के लिये कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 12,22,00,000/- (रूपये बारह करोड़ बाइस लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र०सं० | जनपद का नाम                       | आवंटित धनराशि (लाख में) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1       | इलाहाबाद                          | 15.00                   |
| 2       | अम्बेडकर नगर                      | 51.00                   |
| 3       | बलरामपुर                          | 15.00                   |
| 4       | देवरिया                           | 240.00                  |
| 5       | फतेहपुर                           | 30.00                   |
| 6       | गोरखपुर                           | 200.00                  |
| 7       | कुशीनगर                           | 60.00                   |
| 8       | मऊ                                | 120.00                  |
| 9       | मीरजापुर                          | 40.00                   |
| 10      | सन्त कबीर नगर                     | 85.00                   |
| 11      | सोनभद्र                           | 81.00                   |
| 12      | उन्नाव                            | 285.00                  |
|         | योग रु०                           | 1222.00                 |
|         | (रूपये बारह करोड़ बाइस लाख मात्र) |                         |

- 2- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है ) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय । अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- 5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।
- 6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- 8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।
- 10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।
- 11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

( अनिल कुमार )

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- (1)/1-11-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त को शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एच0टीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- सहायक अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( मदन मोहन )

अनु सचिव ।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-14/06/2016

प्रेषण संख्या:- 17  
आवंटन आदेश संख्या:- 017-33  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वितीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक क्षति के कारण राहत(आयोजनोत्तर मत्तदेग)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                  |                    | 42-अन्य व्यय            | योग                     |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 3000000<br>182049000    | 3000000<br>182049000    |
| 2     | इलाहाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 1500000<br>115434000    | 1500000<br>115434000    |
| 3     | मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 4000000<br>267532000    | 4000000<br>267532000    |
| 4     | गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 2000000<br>1049770000   | 2000000<br>1049770000   |
| 5     | देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 2400000<br>1236035000   | 2400000<br>1236035000   |
| 6     | उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 2850000<br>1489838000   | 2850000<br>1489838000   |
| 7     | मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--           | वर्तमान<br>प्रगामी | 1200000<br>635580000    | 1200000<br>635580000    |
| 8     | सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 810000<br>441592000     | 810000<br>441592000     |
| 9     | कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 600000<br>289990000     | 600000<br>289990000     |
| 10    | अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 510000<br>292807000     | 510000<br>292807000     |
| 11    | बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 150000<br>85375000      | 150000<br>85375000      |
| 12    | संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 850000<br>450255000     | 850000<br>450255000     |
|       | <b>योग</b>                           | वर्तमान<br>प्रगामी | 122200000<br>6536257000 | 122200000<br>6536257000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया बारह करोड़ बाइस लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया छः अरब तिरपन करोड़ बासठ लाख सत्तावन हजार

  
 (शिवराम)  
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
 (शिवराम)  
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
 राहत आगुक्त संगतन  
 उ०प्र० शासन